"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 जनवरी 2017—— पौष 26, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-24/2011/1/एक. —— भारत के संविधान के अनुच्छेद-316 के खंड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, "छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 2001" के अंतर्गत छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर श्री के. आर. पिस्दा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (से. नि.) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.

2. श्री पिस्दा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद-316 (1-क) में निहित प्रावधान के तहत आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्य का निर्वहन करने के लिये अधिकृत करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.